श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

डॉ. रामेश्वर उराँव
वित्त मंत्री

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट अभिभाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2021

डॉ. रामेश्वर उराँव

वित्त मंत्री

का

बजट अभिभाषण

राँची, दिनांक 03 मार्च, 2021

अध्यक्ष महोदय,

भवदीय अनुमति से आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट इस सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड वीरों की कर्म भूमि रही है। बिरसा मुण्डा, नीलाम्बर–पीताम्बर, सिद्धो–कान्हू, चाँद–भैरव, तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धु भगत, जतरा टाना भगत, ठाकुर विश्वनाथ शाही, तिलका माँझी, पाण्डे गणपत राय, शेख भिखारी जैसे हमारे वीर पूर्वजों ने झारखण्ड के सम्मान एवं आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिये कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

3. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष राज्य निर्माण के इतिहास में एक जुझारू वर्ष सिद्ध हुआ है। कोरोना के वैश्विक प्रकोप से देश के साथ–साथ झारखण्ड राज्य भी आहत हुआ है, इसलिए मैं सर्वप्रथम राज्य के अग्रिम पंक्ति के सभी कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूँ। धीरता तथा सेवा की असीम भावना के साथ–साथ स्वयं को न्योछावर करने के जो भाव इनमें देखने को मिले, उसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। इस विषम परिस्थिति में सरकारी तंत्र के साथ–साथ विभिन्न गैर–सरकारी संस्थानों और संगठनों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है। पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक के सभी जनप्रतिनिधियों ने जो मानवीय संवेदना दिखायी, मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कोरोना संकट के दौर में राज्य की जनता ने जो भाईचारा दिखाया, उनके इस कृत्य के लिए उन सभी को मैं नमन करता हूँ।

4. **अध्यक्ष महोदय,** राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक ले जाने और भोजन की ऐतिहासिक व्यवस्था करने जैसे कार्यों के लिए सरकारी तंत्र के साथ–साथ राज्य की आवाम की भूमिका नमन करने योग्य रही है।

5. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार के प्रयास से देश के दुर्गम इलाकों में फंसे श्रमिक भाईयों और अन्य लोगों को सड़क, रेल मार्ग सहित हवाई सेवा के माध्यम से वापस लाया गया।

कोरोना अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है एवं इससे जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई होने में कुछ समय लगेगा। सरकार एवं लोक प्रयास से इस क्षति की पूर्त्ति की जा सकती है। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कृतसंकल्पित है।

''माना कि डगर कठिन है,
पग–पग पर बाधाएँ हैं।
आगे बढ़ने से रोक रही,
महामारी सरीखी ज्वालाएँ हैं।
पर रोक न सकेंगे ये कदम हमारा,
हम उन्नति के अभिलाषी हैं।''

6. **अध्यक्ष महोदय,** कोविड–19 की महामारी ने हमें अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने एवं ऐसे लोगों को राज्य में ही जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के निमित्त हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त गैर–कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने हेतु योजनायें ला रही है। Rural Distress को कम करने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत भुगतेय मजदूरी–दर में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वृद्धि की है। अब मनरेगा मजदूरों को 194 रुपये के बदले 225 रुपये मजदूरी मिलेगी। इस वर्ष मनरेगा के अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर–पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी–बाड़ी योजना को प्रारम्भ किया गया है। कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य की जनता, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उन्हें भोजन एवं आवासन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी। ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कृषि प्रक्षेत्र में सुधार के लिये एवं कृषकों की आय बढ़ाने के निमित्त राज्य अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जायेगा। कृषि के विकास के लिये ग्रामीण विकास की

योजनाओं का कृषि कार्यों के साथ समेकन किया जायेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653.00 करोड़ रुपये (अठारह हजार छः सौ तिरपन करोड़ रुपये) का प्रावधान किया जा रहा है, जो ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020–21 से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है।

7. **अध्यक्ष महोदय,** हमारी सरकार सतत् एवं समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देने वाला है। सभी को भोजन, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास जैसे न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के साथ ही ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं शहरी सुविधाओं के उन्नयन हेतु इस बजट में प्रभावी कदम प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

8. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group (SHG)) के सुदृढ़ीकरण हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों को राशि/अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में बढ़ोत्तरी हेतु इस बजट में कदम उठाये जा रहे हैं। संस्थागत मापदण्ड स्थापित करते हुए हम कौशल विकास की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। बजट के माध्यम से हमने प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए भी राशि उपबंधित की है।

9. **अध्यक्ष महोदय,** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निमित्त योजनायें चलायी जा रही हैं तथा विशेष स्कूलों एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि, कोविड–19 जनित परिस्थितियों ने हमारे राजस्व संग्रहण को संकुचित किया है, तथापि हमारी सरकार ने सामाजिक प्रक्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के साथ–साथ पूँजीगत आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रयत्न किये हैं। पूँजीगत आधारभूत संरचना में भी सामाजिक अवसंरचना पर विशेष बल दिया गया है।

10. **अध्यक्ष महोदय,** कोविड महामारी जनित संकट के मध्य जब राज्य को केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता अपेक्षित थी, ऐसे समय में राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सेदारी में भी कमी देखने को मिली। साथ ही, इस विषम परिस्थिति में ही राज्य के समेकित निधि से DVC के बकाये की सीधी कटौती कर ली गयी, जिससे राज्य के वित्तीय भार में वृद्धि हुई। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जन–कल्याण एवं विकास कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु सरकार ने FRBM Act के दायरे में रहते हुए अपने ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी हुई ऋण क्षमता का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास एवं निर्माण में किया जायेगा, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल का अधिकांश लाभ समाज के अंतिम पायदान एवं हाशिये पर खड़ी जनता को प्राप्त होगा।

11. **अध्यक्ष महोदय,** मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि संचित ऋणों का मूलधन एवं ब्याज भुगतान सरकार के व्यय का बड़ा भाग होता है, जो अन्य विकासात्मक प्रक्षेत्रों पर होने वाले व्यय को संकुचित करता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में हमारी सरकार ने भविष्य में आने वाले ऋण–भारों के मोचन हेतु निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) में पहली बार 303.87 करोड़ रुपये (तीन सौ तीन करोड़ सतासी लाख रुपये) का निवेश किया है, जिससे राज्य की Credit Rating बढ़ेगी। यदि पूर्व के सरकारों ने पहले से ही इस कोष में निवेश किया होता तो कोविड–19 के कारण हुई राजस्व क्षति को Sinking Fund में निवेशित राशि से काफी हद तक कम किया जा सकता था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस कोष में 472.00 करोड़ रुपये (चार सौ बहत्तर करोड़ रुपये) का प्रावधान किया जा रहा है, जो ब्याज भुगतान की सतत्ता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन में एक कड़ी है। इससे आने वाली पीढ़ी पर इन ऋणों का कम से कम भार पड़ेगा। राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत सभी चुनौतियों के बावजूद ब्याज–राजस्व प्राप्ति अनुपात हमने 8.06 प्रतिशत पर बनाये रखा है।

12. **अध्यक्ष महोदय,** सदन के माध्यम से राज्य को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में पहली बार परिणाम बजट (Outcome Budget) प्रस्तुत कर रही है। हमारी योजनायें और बजट सोद्देश्यपूर्ण एवं प्रगतिपरक होनी चाहिए और हमारी सरकार की इसी अभिनव सोच ने हमें आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुछ प्रक्षेत्रों के लिए परिणाम बजट तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है, जिससे व्यय के पश्चात्, लक्षित परिणाम को लोकदृष्टि में लाया जायेगा एवं वित्तीय संव्यवहारों (Financial Transaction) में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी। हम इन तथ्यों का भी आकलन कर सकेंगे कि बजट में किये गये प्रावधान का लाभ किस तरह से जनता तक पहुँच रहा है। सम्प्रति 11 विभागों के 21 माँगों (Demands) के लिये Outcome Budget प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्षों में अन्य विभागों का भी Outcome Budget प्रस्तुत किया जायेगा।

13. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का है और ये तभी संभव होगा जब अर्थव्यवस्था में व्यय करने के अवसर नित्य निर्मित हों। हमारे बजटीय प्रावधान सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal (SDG)) से भी प्रभावित है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।

14. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट **91,277.00 करोड़ रुपये** (एकानवे हजार दो सौ सतहत्तर करोड़ रुपये) का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए **75,755.01 करोड़ रुपये** (पचहत्तर हजार सात सौ पचपन करोड़ एक लाख रुपये) एवं पूँजीगत व्यय के लिए **15,521.99 करोड़ रुपये** (पन्द्रह हजार पाँच सौ इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख रुपये) का प्रस्ताव है।

15. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़ रुपये (छब्बीस हजार सात सौ चौंतीस करोड़ पाँच लाख रुपये), सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ रुपये (तैंतीस हजार छः सौ पच्चीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये) तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपये (तीस हजार नौ सौ सत्रह करोड़ तेईस लाख रुपये) उपबंधित किये गये हैं।

16. बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 23,265.42 करोड़ रुपये (तेईस हजार दो सौ पैंसठ करोड़ बयालिस लाख रुपये) तथा गैर कर राजस्व से 13,500.00 करोड़ रुपये (तेरह हजार पाँच सौ करोड़ रुपये), केन्द्रीय सहायता से 17,891.48 करोड़ रुपये (सत्रह हजार आठ सौ एकानवे करोड़ अड़तालीस लाख रुपये), केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22,050.10 करोड़ रुपये (बाईस हजार पचास करोड़ दस लाख रुपये), लोक ऋण से 14,500.00 करोड़ रुपये (चौदह हजार पाँच सौ करोड़ रुपये) एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70.00 करोड़ रुपये (सत्तर करोड़ रुपये) प्राप्त होने का अनुमान है।

17. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। गत् वर्ष 2019–20 में झारखण्ड का विकास दर 6.7 प्रतिशत था। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड के विकास दर में भी गिरावट आयी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में 7.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में झारखण्ड में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों से अब विकास दर पुनः पटरी पर आ चुकी है। दूरदर्शी नीतिगत् सुधारों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में विकास दर 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर 13.6 प्रतिशत अनुमानित है।

18. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटा 10,210.87 करोड़ रुपये (दस हजार दो सौ दस करोड़ सतासी लाख रुपये) होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.83 प्रतिशत है।

19. **अध्यक्ष महोदय,** सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूँ :–

कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र

20. **अध्यक्ष महोदय,** हमारे राज्य की 75 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर है।

कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना लायी गई है। इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 01.02.2021 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जामताड़ा जिले से किया गया है। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1200.00 करोड़ रुपये (बारह सौ करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कुछ नई योजनाएँ भी लाई गई हैं।

21. **समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना** के तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों से जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 61.00 करोड़ रुपये (एकसठ करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

22. **किसान समृद्धि योजना** अन्तर्गत प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 45.83 करोड़ रुपये (पैंतालीस करोड़ तिरासी लाख रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

23. **शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती** का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों के आस–पास खाली पड़ी भूमि में गृह वाटिका विकसित करते हुए शहर के निवासियों के लिए अत्यन्त कम लागत पर ताजी एवं स्वास्थ्यवर्द्धक सब्जियों एवं फलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में 5,000 पौष्टिक गृह वाटिका 2.00 करोड़ रुपये (दो करोड़ रुपये) की लागत पर विकसित किये जायेगें। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप शहरी परिवारों के भोजन में पौष्टिकता की वृद्धि होगी तथा प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण का विकास होगा।

24. **झारखण्ड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी (Jharkhand State Horticulture Promotion Society)** के गठन का उद्देश्य एक, ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना

है, जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर सके। इस सोसाइटी के गठन के फलस्वरूप पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी एवं योजनाओं के बेहत्तर अनुश्रवण के फलस्वरूप बजटीय आवटंन का समुचित उपयोग हो सकेगा एवं योजनायें ससमय पूर्ण हो सकेंगी। इस सोसाइटी के गठन के पश्चात् कृषकों, कृषि उद्यमियों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

25. **चैंबर ऑफ फॉर्मस** का गठन का उद्देश्य कृषकों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केट लिंकेज की संभावना को बढ़ाना है। चैंबर ऑफ फॉर्मस के गठन के फलस्वरूप कृषक समूह विकसित होंगे एवं राज्य में लघु कृषि उद्योग का विकास हो सकेगा तथा कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा एवं कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) इकाईयों की स्थापना होगी। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 7.00 करोड़ रुपये (सात करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

26. **पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिर्जवेशन आधारभूत संरचना का विकास** योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों के कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान की रोकथाम करना एवं फलों एवं सब्जियों की सेल्फलाईफ को बढ़ाते हुए ज्यादा समय तक संरक्षित रखना है। इसके तहत राज्य में कुल 24 शीतगृह/लघु शीतगृह की स्थापना 31.00 करोड़ रुपये (एकतीस करोड़ रुपये) की लागत पर किया जायेगा। इसके फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों, जो नाशवान प्रवृति के है, की बर्वादी रूकेगी, आधारभूत संरचना जैसे शीतगृह, पैक हाऊस आदि का विकास होगा कृषकों को विपणन में सहायता मिलेगी एवं उनके आय में वृद्धि होगी।

27. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के असंतोषजनक प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए **झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना** का संचालन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है, जिसके

अन्तर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना हेतु 50.00 करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) का उपबंध प्रस्तावित है।

पशुपालन

28. **अध्यक्ष महोदय,** चतरा जिला अन्तर्गत वृहत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्राधीन बकरा विकास के लिए Goat Estate विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध और मांस का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

29. राज्य अन्तर्गत पूर्व से संचालित गौरियाकरमा एवं खूँटी में **चूजा प्रजनन केन्द्र** स्थापित किए जाने की योजना है। इससे मुर्गी पालकों को कम दर पर स्थानीय स्तर से चूजा उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ–ही–साथ स्थानीय नस्ल की मुर्गी का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य से सरकार को उपलब्धि के साथ राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

30. **गो मुक्ति धाम की स्थापना** नई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक प्रमण्डल में एक–एक गो मुक्ति धाम स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि मृत्यु प्राप्त गो के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन कराया जा सके।

31. **जोड़ा बैल वितरण की योजना** अन्तर्गत राज्य के प्रक्षेत्रों तथा अन्य गोपालकों द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जायेगा। इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जायेगा, ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके तथा अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके।

गव्य विकास

32. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमानित कुल दूध उत्पादन 68 लाख लीटर प्रतिदिन है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रतिदिन 73.50 लाख लीटर दूध उत्पादन का

अनुमान है। झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क पूलिंग प्वाईंट्स से सम्बद्ध कुल 2,372 गाँव के 19,630 दूध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1 लाख 02 हजार लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है।

33. दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा से आच्छादित करने की योजना अन्तर्गत राज्य के 30 हजार डेयरी कृषकों को लाभान्वित कराने की कार्रवाई की जा रही है। अबतक कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ रुपये (बाईस करोड़ चौरानबे लाख रुपये) की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021—22 में जारी रखा जायेगा।

34. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों/प्रगतिशील डेयरी कृषकों के लिये अतिरिक्त आमदनी के सृजन तथा स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर 2 दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, हस्त एवं विद्युत चालित चैफ कटर का वितरण तथा तकनीकी इनपुट सामाग्रियों के वितरण की योजना प्रस्तावित है।

35. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु जमशेदपुर तथा गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं राँची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।

36. संस्थागत दुग्ध संग्रहण के संवर्धन एवं विस्तार हेतु ग्रामीण दूध उत्पादकों के द्वारा झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए एक रुपया प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन मूल्य उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मत्स्य

37. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के रूप में सुपाच्य एवं उत्तम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल 2,40,000 मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध माह जनवरी, 2021 तक 1,90,425 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,65,000 मेट्रिक टन मछली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

38. स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 7,390 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों को अनुदान पर मत्स्य स्पॉन, स्पॉन–आहार तथा फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 7,500 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों के माध्यम से 1,100 करोड़ मछली बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

39. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में जलाशयों में मछली मारने वाले स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मात्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव है। मत्स्य उत्पादन में लगातार अभिवृद्धि हेतु फीड बेस्ड फिशरीज एवं इम्प्रूभ्ड वेराईटी की मछलियों का पालन किया जायेगा।

40. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य के मछुआरों/प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/मत्स्य विक्रेताओं/रंगीन मछली पालकों तथा लघु उद्यमियों को अनुदान/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि ये स्वनियोजित/आत्मनिर्भर हो सकें।

41. केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत जलाशयों में नये केजों का अधिष्ठापन कर मछली पालन तथा पुराने केजों का रिमॉडलिंग कराते हुए मछली पालन कराया जायेगा। जलाशयों के विस्थापित अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य इसके लाभुक होंगे। समेकित मत्स्य पालन योजना प्रायोगिक तौर पर मछली–सह–बत्तख एवं मछली–सह–सूकर पालन हेतु आरंभ की जायेगी। इससे लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त होगी।

सहकारिता

42. सहकारिता के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 में लैम्पस / पैक्स / व्यापार मंडल / विशेष प्रकार की सहकारी समितियों को कार्यशील पूँजी, आधारभूत संरचना के विकास के लिये 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

43. **अध्यक्ष महोदय,** कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से 11 लाख से अधिक नागरिक आच्छादित होंगे।

44. किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके, इसलिये लैम्पस / पैक्स का गठन किया गया था। जिला एवं राज्य स्तर पर इनके संघ एवं महासंघ की संरचना के अभाव में ये प्राथमिक समितियाँ अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं लघु वन उपज के संग्रहण, व्यापार, प्रसंस्करण सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय महासंघ गठित करने का प्रस्ताव है।

सिंचाई

45. **अध्यक्ष महोदय,** कृषि में सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व तथा झारखण्ड के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य दुमका जिले के अन्तर्गत भूमिगत पाईपलाईन (Under Ground Pipe Line) के माध्यम से **मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना** का कार्यान्वयन आगामी वर्ष 2021–22 में प्रारंभ किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। इससे जिले के बहुत बड़े भू–भाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

46. वर्षों पूर्व निर्मित जीर्ण–शीर्ण योजनाओं के विकास पुनर्रूद्धार व आधुनिकीकरण (Extension, Renovation and Modernization) के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 12 पुरानी सिंचाई योजनाओं के नहरों के लाईनिंग का कार्य आगामी वर्ष में कराये जाने का प्रस्ताव है।

47. राज्य के पठारी भौगोलिक स्थलाकृति के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की सार्थकता एवं उपादेयता बनाये रखने के लिए 213 आहर/तालाब/मध्यम सिंचाई योजना एवं 100 जमींदारी बांधों के जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में कराये जाने का कार्यक्रम निर्धारित है।

ग्रामीण विकास

48. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीण क्षेत्रों में निधि की त्वरित एवं सुलभ उपलब्धता हेतु राज्य के सखी मंडलों को इस वर्ष करीब 449.00 करोड़ रुपये (चार सौ उनचास करोड़ रुपये) चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि तथा 546.00 करोड़ रुपये (पाँच सौ छियालिस करोड़ रुपये) क्रेडिट लिंकेज के रुप में उपलब्ध कराया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 50,000 सखी मण्डलों को चक्रीय निधि एवं 20,000 सखी मण्डलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने की योजना है।

49. **आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (ASHA)** के जरिए राज्य के 20.8 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। अगले वित्तीय वर्ष में 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है।

50. अनुदान तथा प्रशिक्षण के साथ सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को **"पलाश ब्राण्ड"** के जरिए एक नई पहचान देकर करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया है। आगामी वर्ष इस योजना का विस्तार तेजी से किया जायेगा।

51. **जोहार परियोजना** के अन्तर्गत अब तक कुल 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके माध्यम से 2 लाख 13 हजार परिवारों को विभिन्न उत्पादनों के लिए जोड़ा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से 2 लाख 10 हजार परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ने की योजना है।

52. **फुलो झानो आशीर्वाद अभियान** अंतर्गत करीब 15,063 महिलाओं को विगत 4 माह में हड़िया–दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से

जोड़ा गया है। इस वित्तीय वर्ष में हड़िया–दारू बेचने के कार्य में मजबूरीवश लगी शेष महिलाओं को भी आजीविका के विभिन्न साधनों से इस योजना के तहत जोड़ा जायेगा।

53. मनरेगा योजना प्रारंभ होने के पश्चात पहली बार राज्य हेतु निर्धारित मानव दिवस सृजन के लक्ष्य का तीन बार पुनरीक्षण किया गया है। इस Rural Distress के समय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्त्तमान में 1,150 लाख **मानव दिवस सृजन** किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में **4,17,875** योजनाओं को पूरा किया गया। कुल **8,84,270** योजनाओं पर कार्य जारी है।

54. झारखण्ड राज्य में गरीब ग्रामीणों तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से (Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)) द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से झारखण्ड राज्य के छः जिला यथा– गुमला, खूँटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज तथा गोड्डा अन्तर्गत कुल 24 Non CFT प्रखण्डों में MoU कर कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इस Partnership में मनरेगा कार्यक्रम की निधि का बेहतर उपयोग करते हुए Integrated Natural Resource Management (INRM) के सिद्धान्त के आधार पर Watershed Approach को अपनाते हुए Land and Water Treatment का कार्य किया जायेगा।

55. **बिरसा हरित ग्राम योजना** के अन्तर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 25,000 एकड़ भूमि पर इस कार्य को कराने का लक्ष्य रखा गया है।

56. **नीलाम्बर–पीताम्बर जल समृद्धि योजना** के अन्तर्गत 1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 1,12,094 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया जा चुका है। लगभग 98,065 हेक्टेयर भूमि का उपचार प्रगति पर है। वर्ष 2021–22 में 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है।

57. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत 1,100 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया जायेगा, जिसके अनुसार प्रस्तावित बजट की राशि 3,770.07 करोड़ रुपये (तीन हजार सात सौ सत्तर करोड़ सात लाख रुपये) होगी।

58. **बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना** अन्तर्गत 32 हजार 244 आवास स्वीकृत करते हुए 23 हजार 331 आवास पूर्ण किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3,000 नये आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है।

59. पक्का आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के भौतिक लक्ष्य 4,22,125 आवासों के विरूद्ध अब तक 3,35,307 आवास स्वीकृत एवं 37,981 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 02 लाख 45 हजार नये आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

60. ग्रामीण क्षेत्रों में पथों के घनत्व को बढ़ाने तथा आवागमन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्व की योजनाओं को मिलाकर कुल 962 योजनायें 2,410 कि०मी० क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,000 कि०मी० पथ निर्माण एवं 250 पुल पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में (Road Connectivity Plan in LWE affected areas (RCPLWE)) अन्तर्गत 600 कि०मी० पथ निर्माण एवं 10 पुल निर्माण कार्य कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में PMGSY Phase-III से 4,125 कि०मी० स्वीकृत कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्व से स्वीकृत लगभग 2,000 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण तथा 75 ग्रामीण पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

61. **15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सामान्य आधारभूत अनुदान** त्रिस्तरीय PRIs को उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों के लिये 1,618.65 करोड़ रुपये (एक हजार छः सौ अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये), पंचायत समितियों के लिये 304.03 करोड़ रुपये (तीन सौ चार करोड़ तीन लाख रुपये) तथा जिला परिषदों के लिये 202.68 करोड़ रुपये (दो सौ दो करोड़ अड़सठ लाख रुपये) का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

62. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** इस योजना के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु राज्य में निम्न कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे :–

- **क्षमता वर्द्धन एवं सृजन** अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) से संबंधित

प्रशिक्षण, hand holding support तथा अन्य प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियाँ यथा– प्रशिक्षण यात्रा, प्रचार–प्रसार, सूचना, मुद्रण इत्यादि कार्य कराये जायेंगे।

- **संस्थागत संरचना** के विकास हेतु जिला पंचायत संसाधन केन्द्र, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र का रख–रखाव, अनुरक्षण, संवर्द्धन, मानव संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। पंचायत भवनों का निर्माण, मरम्मत, प्रज्ञा केन्द्र को पंचायत भवन में स्थापित कराने जैसे कार्य कराये जायेंगे।
- **ई–सक्षमता** के माध्यम से पंचायतों को कम्प्यूटर एवं उपस्कर, तकनीकी सहयोग (मानव संसाधन सहित) उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्वास्थ्य

63. **अध्यक्ष महोदय,** वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्पूर्ण विश्व सहित झारखण्ड भी प्रभावित हुआ। ऐसे समय में स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्ता को समझते हुए राज्य के सभी नागरिकों के लिए कोविड–19 से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य भर के जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है। दिनांक 16.01.2021 से कोविड–19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य के 129 केन्द्रों पर किया जा रहा है।

64. वर्त्तमान में देश में कोविड–19 के अन्तर्गत रिकवरी दर 97.10 प्रतिशत तथा मृत्यु दर 1.40 प्रतिशत है, जबकि झारखण्ड राज्य में रिकवरी दर 98.71 प्रतिशत तथा मृत्यु दर 0.90 प्रतिशत है।

65. वर्त्तमान में राज्य में कोविड–19 से निपटने हेतु पर्याप्त संख्या में आवश्यक आधारभूत संरचना यथा 19,358 आइसोलेशन बेड, 2021 ऑक्सीजन बेड, 577 ICU बेड तथा 642 वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध है।

66. कोविड–19 वैक्सीन नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर तथा प्रखण्ड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मी तथा फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है।

67. ‘108’ आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (सभी आवश्यक उपकरणों, दवा एवं पारामेडिक्स सहित) का विस्तार करते हेतु पूर्व से संचालित 337 एम्बुलेंस के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में 117 नये एम्बुलेंस का संचालन आरंभ किया जायेगा।

68. **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के तहत राज्य में 489 निजी अस्पतालों एवं 220 सरकारी अस्पतालों को मिलाकर अब तक कुल 709 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अबतक 88,76,567 गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है। कुल 7,34,021 लाभुकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के सार्वभौमीकरण उद्देश्य की पूर्ति के साथ–साथ झारखण्ड की जन आकांक्षा एवं हितों के अनुरूप आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को **आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना** के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

69. राँची जिलान्तर्गत निर्माणाधीन 500 शय्या वाले सदर अस्पताल को मार्च, 2021 के पूर्व पूर्ण कराकर संचालित कर दिया जायेगा।

70. शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर तथा राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालय में अवस्थित जिला अस्पतालों के साथ–साथ साहेबगंज जिला अस्पताल को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराते हुए अत्याधुनिक मशीन–उपकरण, साज–सामानों से युक्त कर संचालित किये जाने की योजना है, ताकि वहाँ ईलाज कराने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैय्या करायी जा सके।

71. राज्य के दुर्घटना संभावित राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्मित एवं निर्माणाधीन कुल 10 ट्रॉमा सेन्टर को आवश्यक मानव–संसाधन एवं मशीन उपकरणों से सुसज्जित करते हुए संचालित किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त अन्य 48 दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसके नजदीकी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना किये जाने की योजना है।

72. झारखण्ड सरकार तथा Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI) के बीच राज्य में कुल 250 जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु MoU किया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 64 जन औषधि केन्द्रों को औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त है। वर्ष 2021–22 में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने की योजना है।

खाद्य आपूर्ति

73. **अध्यक्ष महोदय,** स्वस्थ समाज की परिकल्पना का आधार उचित पोषण एवं पर्याप्त खाद्य आपूर्त्ति है। राज्य सरकार इस हेतु कई योजनाएँ चला रही है। इस कड़ी में **गुरूजी किचन योजना** नामक एक नई योजना वर्ष 2021–22 से शुरू की जायेगी। गुरूजी किचन योजना अन्तर्गत वर्त्तमान में चलाये जा रहे दाल–भात केन्द्रों के अतिरिक्त भोजन में विविधता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से नये भोजन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

74. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** के अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली, दुकानदारों में आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से दुकानवार राशनकार्ड की संख्या को Rationalize करने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

75. आगामी खरीफ विपणन मौसम में **धान अधिप्राप्ति योजना** के लक्ष्य में बढ़ोत्तरी किया जायेगा।

76. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** से आच्छादित लाभुकों की सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर **धोती, साड़ी एवं लुंगी का वितरण** किया जायेगा।

77. झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को 5 किलोग्राम चावल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

पेयजल एवं स्वच्छता

78. **अध्यक्ष महोदय,** अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्त्ति के साथ–साथ शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्त्ति भी आवश्यक है। **राज्य के सभी घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ जल**

उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य योजना, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं के तहत राज्य के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

79. राज्य में वर्ष 2024 तक कुल 58,95,843 House hold को Functional House Tap Connection (FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों को जलापूर्त्ति से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। अबतक 11.05 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है। वर्ष 2021–22 में इस covergae को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है।

80. विभिन्न योजनाओं के तहत 495 वृहत् ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है एवं 176 अदद् ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के तहत 51 अदद् नये वृहत् ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

81. राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ वृहत् जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण हेतु सतही स्त्रोत उपलब्ध नहीं है, वैसे क्षेत्रों को सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है।

82. अबतक 1,561 अदद् आदिम जनजाति में तथा 10,530 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य टोलों में सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण कर जलापूर्त्ति की जा रही है। शेष 690 आदिम जनजाति एवं 1,856 अदद् अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य टोलों में इन योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में इन योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

83. जलजीवन मिशन के तहत 15,000 एकल ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

84. राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र जो जलापूर्त्ति से आच्छादित नहीं हो पाया है या आशिंक रूप से आच्छादित है, उन टोलों में जलापूर्त्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के सभी 4,374 पंचायतों में 5–5 अदद् प्रति पंचायत की दर से कुल 21,870 अदद् नलकूप निर्माण कराये जाने की योजना है। वर्ष 2021–22 में अप्रैल माह के अन्त तक इन योजनाओं को पूर्ण कर लिया जायेगा।

85. जल जीवन मिशन के तहत आर्सैनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित चिन्हित 483 अदद् टोलों में Electrolytic Defluoridation (EDF) के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्त्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

शहरी विकास

86. **अध्यक्ष महोदय,** स्वास्थ्य, खाद्य–आपूर्त्ति, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ जनता को नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्र को विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। राज्य में कुल 50 नगर निकाय गठित एवं कार्यरत हैं, जिसमें रह रहे लोगों को शुद्ध पेयजल, साफ–सफाई, शहरी परिवहन, आवास, जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

87. राज्य सरकार **शहरी जलापूर्त्ति** योजनाओं के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में आवासित परिवारों को नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित है।

- गिरिडीह एवं चाकुलिया नगर निकायों में शहरी जलापूर्त्ति योजना पूर्ण कर ली गई हैं। गोड्डा, लातेहार, चास, चतरा एवं मंझिआंव में जलापूर्त्ति योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूरा किया जायेगा।
- राँची Phase-IIA, दुमका, देवघर एवं हुसैनाबाद में स्वीकृत योजनाओं पर कार्य वर्ष 2021–22 प्रारंभ किया जायेगा।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में सिमडेगा, रामगढ़, रेहला–विश्रामपुर, झुमरितिलैया, मेदिनीनगर में नई योजनाओं को स्वीकृत किया जायेगा।
- नवसृजित 10 नगर निकायों यथा– महागामा, बड़हरवा, छत्तरपुर, हरिहरगंज, श्रीबंशीधर नगर, धनवार, बड़की सरैया, डोमचाँच, कपाली और बचरा में नई जलापूर्त्ति योजनाओं को स्वीकृत किया जायेगा।
- गुमला, जामताड़ा एवं लोहरदगा नगर निकायों में जलापूर्त्ति हेतु DPR तैयार किया जायेगा।

88. नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को स्वच्छ वातावरण उपलब्धता के लिए **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)** से संबंधित 24 नगर निकायों में Concessionaire की नियुक्ति कर दी गयी है। गिरिडीह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट चालू कर दिया गया है। देवघर, गोड्डा, एवं चाकुलिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट परीक्षण स्तर पर है। बुण्डु, चिरकुण्डा, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, पाकुड़, झुमरीतिलैया, कोडरमा एवं खूँटी का Plant वित्तीय वर्ष 2021–22 में चालू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शेष नगर निकायों में भी ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु Concessionaire की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2021–22 में की जायेगी।

89. **अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)** के अधीन 05 मिशन शहरों में से 01 मिशन शहर आदित्यपुर में सिवरेज एवं 04 मिशन शहर, यथा– चास, हजारीबाग, देवघर एवं गिरिडीह में सेप्टेज परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शहरों में स्वच्छता का वातावरण रहे और हमारे नदी–नाले, तालाब, आदि भी स्वच्छ रहे, इसके लिए बड़े शहरों में सिवरेज–ड्रेनेज और छोटे शहरों में सेप्टेज मैनेजमेन्ट का प्रस्ताव लागू किया जाना है।

- अमृत योजना के अधीन 07 चयनित शहरों में 33 पार्कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2021–22 में दो पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।
- अमृत योजना के अधीन 07 चयनित शहरों में 2,251 नगरपालिका कर्मियों का प्रशिक्षण एवं 550 निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, क्षमता संवर्द्धन के अधीन किया गया है। वर्ष 2021–22 में 1,050 कर्मियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है।

90. वित्तीय वर्ष 2021–22 में **नमामि गंगे योजना** के अधीन फुसरो के लिये Interception and Diversion तकनीक पर आधारित 15 Mega Litre Per Day Sewage Treatment Plant (MLD STP) योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

- साहेबगंज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना के अधीन 12 MLD STP से 12,650 घरों को जोड़ दिया गया है।

- धनबाद एवं रामगढ़ में Interception and Diversion तकनीक पर आधारित सिवरेज योजना का DPR स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में इसे कार्यान्वयन कराने का प्रस्ताव है।
- राजमहल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना हेतु निर्मित 3.5 MLD STP के साथ 7,700 घरों को जोड़ने का कार्य वर्ष 2021—22 में किया जायेगा।

91. राज्य सरकार **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत सभी सुयोग्य लाभुकों को वर्ष 2022 तक पक्के घर उपलब्ध करायेगी। वित्तीय वर्ष 2021—22 में 67,938 आवासों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

92. राजधानी राँची में **स्मार्ट सिटी योजना** के तहत HEC क्षेत्र में Green Field Project के अधीन सड़क, नाली, पैदल पथ, जलापूर्त्ति पाईप लाईन पुनः उपयोग जल संयंत्र, मल प्रवाह पद्धति एवं उच्च एवं निम्न प्रवाह केबल बिछाव का कार्य किया जा रहा है, ताकि आधुनिक सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना के अधिष्ठापन से एक विश्व स्तरीय शहर की स्थापना की जा सके।

93. इसके अतिरिक्त राँची शहर में सड़क, फ्लाई ओवर, रवीन्द्र भवन, बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान जैसे महत्त्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार राजधानी राँची में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु आगे भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए नये सड़कों का निर्माण, महत्वपूर्ण चौराहों, यथा— करमटोली में फ्लाई ओवर, मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, सिवरेज—ड्रेनेज, फल एवं सब्जी बेचने वाले एवं वेण्डर्स के लिए वेण्डर्स मार्केट, Bus/Auto Stand की योजना स्वीकृत की जायेगी।

94. **बाह्य सम्पोषित योजनाओं** के अधीन विश्व बैंक एवं एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से 16 निकायों में जलापूर्ति योजनायें, धनबाद में 20 किमी सड़क निर्माण, चयनित योजनाओं हेतु परामर्शी सेवायें, निकायों में ई—गवर्नेंस एवं GIS मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है। जलापूर्त्ति योजनायें पूर्ण होने पर लगभग 2,23,305 घरों में पाईप जलापूर्त्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

95. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** के अधीन 3.00 लाख शहरी महिलाओं को स्वयं—सहायता समूह (Self Help Group (SHG)) से जोड़ने, 3,000 शहरी गरीबों से सूक्ष्म

उद्यम स्थापित करने में बैंक सहायता उपलब्ध कराने, 129 आश्रयगृह निर्माण करने एवं सभी नगर निकायों में पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर परिचय पत्र एवं पथ विक्रेता प्रमाण पत्र प्रदान करने का लक्ष्य है।

96. राज्य के सभी नगर निकायों में LED Street Light का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

कल्याण

97. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इन समुदायों के समुचित एवं समग्र विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

98. **मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना** योजनांतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस) युवाओं को देश से बाहर यूनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दन आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों यथा कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा– Masters/M.Phil Full Degree Program ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

99. शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्री–मैट्रिक एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान सम्पूर्ण (कक्षा 1 से प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं तक) रूप से Aadhaar Enabled PFMS के माध्यम से किया जा रहा है।

100. वर्त्तमान में विभाग द्वारा कुल 143 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 7 एकलव्य एवं 11 आश्रम विद्यालय हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य के 69 प्रखण्डों हेतु स्वीकृत कुल 69 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है। राज्य के समस्त आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाईटी, जो इन विद्यालयों के सफल संचालन का कार्य करेगी, के गठन का प्रस्ताव है।

101. राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये आवश्यकतानुसार प्रमंडलीय स्तर पर एक–एक आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु कार्य करेगी।

102. आवासीय विद्यालयों से पृथक अन्य विद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के आवासन हेतु सरकार द्वारा कुल 307 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विगत् वर्षों में रख–रखाव के अभाव में इन छात्रावासों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ कर तीन वर्षों की अवधि में इन सभी छात्रावासों की मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य कराया जायेगा।

103. निर्बाध शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु एवं Drop-out Rate को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा साईकिल योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत योग्य छात्र/छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु राशि दी जाती है। सभी को साईकिल निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिये वर्ष 2021–22 से राज्य सरकार पूर्व की भांति साईकिल का क्रय कर छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायेगी।

104. **शहीद ग्राम विकास योजना** का मुख्य उद्देश्य जनजातीय शहीद, जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहूति दिये हैं, के जन्मस्थली को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इस योजनान्तर्गत बिरसा मुण्डा, गया मुण्डा, जतरा टाना भगत, वीर बुधू भगत, सिद्धो–कान्हू, नीलाम्बर–पीताम्बर, दिवा एवं किशुन तथा तेलंगा खड़िया, पोटो हो तथा भगीरथ माझी के ग्रामों को चयनित करते हुए आवास, पेयजल आपूर्त्ति, सोलर विद्युतीकरण सोलर स्ट्रीट लाईट, स्मारकों का जीर्णोद्धार, शहीदों की मूर्त्तियों का अधिष्ठापन आदि का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 5.00 करोड़ रुपये की राशि प्रावधानित की जा रही है।

105. **मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना** अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम/झारखण्ड राज्य

अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन के युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण–सह–अनुदान देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्रियान्वित की जा रही है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत जहाँ अनुदान 25 प्रतिशत तथा अधिकतम अनुदान राशि 2.50 लाख थी, इसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऋण राशि का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5.00 लाख रूपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में इस ऋण की प्राप्ति के लिए दो सरकारी नौकरी प्राप्त गारन्टर की आवश्यकता थी, अब इसे एक कर दिया गया है। इससे ऋण प्राप्त करना आसान होगा। इस योजना हेतु 12.00 करोड़ रुपये (बारह करोड़ रुपये) की राशि प्रावधानित की जा रही है।

106. **Targeting the Hard Core Poor (THP) Project** अंतर्गत संथाल परगना के साहेबगंज, गोड्डा, दुमका एवं पाकुड़ जिलों के 5,000 अति कमज़ोर जनजातीय समूह को आच्छादित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य 24 माह की परियोजना अवधि में लाभुकों को गरीबी की जटिलता से निकालना है। वर्ष 2021–22 में इस योजना को सघनता से लागू किया जायेगा।

107. International Fund for Agricultural Development (IFAD) द्वारा वित्त पोषित **झारखण्ड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना** का क्रियान्वयन झारखण्ड ट्राईबल डेवलेपमेन्ट सोसाईटी द्वारा राज्य के 14 अनुसूचित जिलों के 32 प्रखण्डों के 169 पंचायतों के 1,779 गाँवो में किया जा रहा है। उक्त परियोजना अन्तर्गत कुल 2.11 लाख जनजातीय परिवार आच्छादित किये जा रहे हैं। इस परियोजना की Localised weather based planning की वृहद् प्रशंसा की गई है। वर्ष 2021–22 में इस योजना को जारी रखा जायेगा।

108. कौशल विकास हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) के रूप में गठित प्रेझा फाउंडेशन द्वारा राज्य में 21 कल्याण गुरूकुल, 06 नर्सिंग कौशल कॉलेज तथा 01 ITI कौशल कॉलेज का

संचालन किया जा रहा है। राज्य की बच्चियों को राज्य में ही बेहतर व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिये शीघ्र ही लातेहार एवं जमाताड़ा जिले में भी नर्सिंग कौशल कॉलेज का उद्घाटन किया जायेगा। राज्य नर्सिंग काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा में चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की सभी छात्रायें Distinction के साथ उत्तीर्ण हुई हैं। वर्ष 2020–21 में चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की 92 छात्राओं को अपोलो एवं क्लाउड–9 जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में अच्छे वेतन पर नियोजित किया गया है।

109. Higher Secondary शिक्षा से Dropout को कम करने के उद्देश्य तथा कौशल विकास को उच्च स्तर तक प्रगति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को कौशल विद्या अकादमी की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। यह Vocational Training Education के लिये प्रभावी कदम होगा।

110. वित्तीय वर्ष 2021–22 में 50.00 लाख रुपये की राशि से **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिये कोचिंग एण्ड एलायड योजना** संचालित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 तक कोचिंग एण्ड एलायड योजना से मात्र अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राएं आच्छादित हुये हैं।

समाज कल्याण

111. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस निमित्त राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को बेहतर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य द्वारा 06–36 माह के बच्चों, 06–72 माह के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को मशीनी परिष्कृत पूरक पोषाहार Micronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF) उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना है। इससे कुल 24.14 लाख लाभुक को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिस पर 500.00 करोड़ रुपये (पाँच सौ करोड़ रुपये) व्यय आने की संभावना है। 03–06 वर्ष के बच्चों को दोपहर के भोजन में प्रत्येक सप्ताह के तीन दिन एक अण्डा प्रतिदिन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों को

बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर कुपोषण को दूर किया जा सकेगा। इस हेतु सरकार स्वयं के संसाधन से अतिरिक्त राशि का व्यय करेगी।

112. बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा युनिसेफ के सहयोग से Early Childhood Care and Education के तहत Curriculum तैयार कराया गया है, जिसे सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित किया जायेगा। बच्चों को मनोरंजन पूर्वक ज्ञानवर्द्धक शिक्षा प्रदान कर उनके बौद्धिक विकास में सहयोग करना योजना का लक्ष्य है। इस हेतु 3.80 करोड़ रुपये (तीन करोड़ अस्सी लाख रुपये) का बजटीय उपबंध किया गया है।

113. राज्य के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं अनीमिया चिन्ता का विषय रहा है। बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त कुपोषण के उन्मूलन हेतु सरकार अत्यंत गंभीर है। राज्य से कुपोषण उन्मूलन के इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न संबंधित विभागों के अभिसरण से समन्वित तथा समयबद्ध प्रयास स्वरूप 1,000 दिनों की अवधि में राज्य व्यापी समर (SAAMAR-Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia Reduction) अभियान पूरे राज्य में संचालित करने का प्रस्ताव है।

114. समाज में कठिनतम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों यथा– बच्चे, महिलायें, परित्यक्ता, विधवा, वृद्ध, ट्रान्सजेन्डर आदि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मुख्य हितधारकों को चिन्हित कर अपनी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के प्रयास स्वरूप एक Digital Platform एवं Civil Society Organizations (CSOs) के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली योजना DIVINE (Dignity to Vulnerable Individuals for Nurturing with Empathy) को वर्ष 2021–22 में चालू करने का प्रस्ताव है।

115. किशोरियाँ एवं युवतियाँ, Intergenerational कुपोषण चक्र को तोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वस्थ एवं सुपोषित युवतियाँ, स्वस्थ एवं सुपोषित बच्चों को जन्म देंगी जिससे कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने में सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से राज्य के अन्तर्गत किशोरियों एवं युवतियों के समूहों को Dietary Allowance उपलब्ध कराने तथा

साझा रूप से पोषक भोजन तथा अन्य पोषण सुविधायें प्राप्त करने हेतु 'साझा पोषण' कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ एवं क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया जायेगा।

116. राज्य के वृद्धजनों को होने वाली विभिन्न समस्याओं यथा चिकित्सा, सुरक्षा, संरक्षण, विधिक आवश्यकता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा वृद्धजनों हेतु वर्ष 2021–22 में एक हेल्प लाईन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो वृद्धजनों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में वृद्धजनों एवं संबंधित सरकारी एजेन्सी के बीच समन्वय एवं सम्पर्क का कार्य करेगी।

117. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में गरीब, असहाय एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों को चलन्त वाहन के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

118. **अध्यक्ष महोदय,** हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार राज्य में सार्वभौमिक पेंशन योजना (Universal Pension Scheme) शुरू करने जा रही है, इसके अन्तर्गत सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं अनाथ आच्छादित होंगे। अब तक इस योजना के अन्तर्गत सीमित लक्ष्य तय होने के कारण कई जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पाता था।

119. राज्य के 12 जिलों में सरकारी चिकित्सालयों में नशापान से मुक्ति की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Addiction Treatment Facility Centre खोले जाने हेतु सरकार दृढ़ संकल्पित है।

120. आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में जघन्य अपराध के आरोपी बच्चों को सामान्य अपराध के आरोपी बच्चों से अलग रखने के उद्देश्य से राज्य में Place of Safety भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

121. राज्य अंतर्गत स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राँची, पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद जिलों में 30–30 व्यक्तियों की क्षमता वाले कुल तीन Half Way Home संचालित करने की योजना है।

स्कूली शिक्षा

122. **अध्यक्ष महोदय,** शिक्षित बच्चे विकसित समाज का आधार होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विद्यालयों में सुनिश्चित करने हेतु राज्य अन्तर्गत कई नूतन प्रयास ज्ञानोदय, ज्ञानसेतु कार्यक्रम, विद्यालय प्रमाणीकरण, ई–विद्यावाहिनी के रूप में किए गए जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों यथा– Gross Intake Rate (GIR), Net Intake Rate (NIR), में प्रगति करते हुए राष्ट्रीय औसत से अधिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य के प्रत्येक पंचायत को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत के रूप में घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालयों के छीजन दर को कम करने हेतु कई नवाचार किये जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के 1,828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित हो चुके हैं तथा आगामी वर्ष में 1,000 और पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है।

123. वैश्विक महामारी के दौरान झारखण्ड वापस आने वाले **प्रवासी मजदूरों के 5,099 बच्चों को विद्यालयों में नामांकन** कराते हुए डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का काम भी किया गया है।

124. सभी प्रारंभिक विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को **वैश्विक महामारी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना** के अन्तर्गत सूखा राशन एवं नगद् राशि विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से घर–घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, ताकि आपदा की इस घड़ी में राज्य के 32 लाख विद्यार्थियों के पोषण के स्तर में कोई कमी नहीं आ पाये।

125. आदर्श विद्यालय योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2024–25 तक राज्य सरकार द्वारा 18.86 करोड़ रुपये (अठारह करोड़ छियासी लाख रुपये) की लागत से राज्य के 4,496 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। इसमें 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को School of Excellence (उत्कृष्ट विद्यालय), 325 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालय सहित कुल 4,091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रथम चरण में 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट गुणवत्त

शिक्षा के केन्द्र में विकसित करने हेतु इस वर्ष 450 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ रुपये) की राशि उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, विषय आधारित शिक्षक की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, व्यवसायिक शिक्षा, STEM लैब आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों के तर्ज पर CBSE से सम्बद्धता प्राप्त करते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण भी इन विद्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी।

126. Asian Development Bank (ADB) वित्त पोषण योजना से वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक राज्य के विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने हेतु एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत प्राप्त निधि का आदर्श विद्यालय योजना के साथ Convergence करते हुए लगभग 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षकों के क्षमता विकास हेतु Jharkhand Council of Education Research and Training (JCERT) एवं डायट जैसे संस्थानों का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जायेगा।

127. **"SAMADHAN"** कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार विषयवार योग्य शिक्षकों की व्यवस्था आदर्श विद्यालय योजना के तहत घंटी आधारित, अनुबंध एवं शिक्षकों के युक्तिकरण के माध्यम से की जायेगी। योग्य शिक्षकों के चयन हेतु समाधान ऐप भी शीघ्र लागू किया जायेगा। राज्य में शिक्षकों की नई नियुक्तियाँ करने का भी प्रस्ताव है।

128. राज्य के 500 प्रारंभिक विद्यालयों को Exemplar school (प्रेरक गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र) के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 में विकसित करने की योजना है।

129. राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को **आकांक्षा कार्यक्रम** के तहत निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप राज्य के सरकारी विद्यालय के कई बच्चों ने IIT एवं AIIMS जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता हासिल की है। सरकार के द्वारा ऐसे मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया है।

130. **मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार** के अन्तर्गत राज्य के 928 विद्यालयों ने 5 स्टार तथा 5,668 विद्यालयों ने 4 स्टार प्राप्त कर स्वच्छता एंव गुणवत्ता के पैमाने पर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

131. **विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों (Out of School Children (OOSC)** को विद्यालय से जोड़ने हेतु राज्यव्यापी सर्वेक्षण का व्यापक अभियान चला कर बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा DAHAR App के माध्यम से इन बच्चों का डेटाबेस तैयार करते हुए इनके शिक्षण एवं मुख्यधारा के विद्यालयों में ठहराव हेतु आवश्यक रणनीति का निर्माण किया गया है।

132. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य साक्षरता दर 66.41 प्रतिशत थी। **साक्षर भारत कार्यक्रम** के कार्यान्वयन के फलस्वरूप यह दर बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही शत–प्रतिशत साक्षर के दर को हासिल करने हेतु एक नूतन योजना **''पढ़ना लिखना अभियान''** का शुभारंभ किया जायेगा।

133. **झारखण्ड अधिविद्य परिषद्** के द्वारा कक्षा 8 से 12 तक की **परीक्षा प्रणाली** में व्यापक सुधार किए गये, जिसके परिणाम स्वरूप मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा परिणामों में उत्साहवर्द्धक वृद्धि हुई है। गत मैट्रिक परीक्षा में राज्य के 54 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना** के तहत राज्य के अधिविद्य परिषद्, CBSE तथा ICSE बोर्ड में राज्य स्तर पर वर्ष 2020 की मैट्रिक एवं इन्टर परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृत्तीय आने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिक में क्रमशः 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये एवं 50,000 रुपये एवं इंटर में क्रमशः 3,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये एवं 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी गई।

134. **गुणवत्त शिक्षा** को सुनिश्चित करने हेतु ज्ञानसेतु एवं ज्ञानोदय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं तथा आगे भी इसे जारी रखने की योजना है। Sustainable Action for Transforming Human Capital (Sath-e) के तहत इसे और सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। झारखण्ड शिक्षा सेवा के 36 पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य गठन के बाद पहली बार वर्ष

2020–21 में की गई है तथा नई नियुक्ति हेतु 41 पदाधिकारियों के चयन हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। इसके साथ–साथ आगामी वर्षों में अवर शिक्षा सेवा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

135. पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान एवं नियमित मानदेय सुनिश्चित करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है।

136. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईया–सह–सहायिका के मानदेय में 500 रुपये मासिक वृद्धि की जायेगी।

137. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना का शुभारंभ 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) के बजटीय उपबंध से किया जा रहा है।

138. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू करने हेतु 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

139. **शारीरिक शिक्षा एवं खेल–कूद** हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत हस्तपुस्तिका तैयार की गई है तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेल–कूद को विषय के रूप में भी शामिल करने की योजना है।

140. जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षण, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसा में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिया जायेगा।

141. **''आओ पढ़ें : खूब पढ़ें'', पठन अभियान** को राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के पठन क्षमता को विकसित करने हेतु व्यापक रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित किया जायेगा।

उच्चत्तर एवं तकनीकी शिक्षा

142. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उच्चत्तर एवं तकनीकी शिक्षा तक छात्रों की पहुँच सुनिश्चित करने एवं इसके माध्यम से उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के निमित्त उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकार प्रयत्नरत है। उच्चतर शिक्षा में Acces, Equity एवं Excellence

प्राप्त करने के लिये वर्ष 2021–22 में **झारखण्ड ट्रायबल विश्वविद्यालय (Jharkhand Tribal University)** एवं **झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय (Jharkhand Open University)** की स्थापना की जायेगी, इससे राज्य के सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुँच संभव हो सकेगी।

143. वित्तीय वर्ष 2020–21 में सभी सम्बद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को National Assessment and Accreditation Council (NAAC) से प्रमाणीकृत करा लिया जायेगा।

144. महिला महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित 300 शैय्या छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा।

145. अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार एवं प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए केन्द्रीय Placement Cell के गठन का प्रस्ताव है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

146. **झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना** के तहत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 योजनाएँ यथा– **असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कौशल उन्नयन योजना एवं चिकित्सा सहायता योजना** संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 80.97 हजार श्रमिकों को निबंधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1.50 लाख श्रमिकों का निबंधन करते हुए उनके हितार्थ संचालित योजना से लाभान्वित कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

147. प्रवासी कर्मकारों के निबंधन की प्रक्रिया को ग्राम पंचायत के स्तर पर करने से संबंधित योजना के सुदृढ़ीकरण करने तथा उन्हें बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

148. **बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास** के लिए प्रत्येक जिला में 10.00 लाख रुपये के कोर्पस फंड का गठन कर लिया गया है। इस कोष से विमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिक को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना है।

149. **मुख्यमंत्री झारखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना** के अन्तर्गत विदेश प्रवास पर गये श्रमिकों के असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एकमुश्त 5,00,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) का भुगतान संबंधित उपायुक्त के द्वारा किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में उद्व्यय के प्रावधान का प्रस्ताव है।

150. वित्तीय वर्ष 2021–22 से नई योजना **''मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना''** को लागू किया जायेगा।

151. राज्य सरकार राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है।

152. ''कार्यरत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल ITI के रूप में उन्नयन'' योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची/बोकारो तथा देवघर को मॉडल ITI के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

153. कौशल विकास कार्यक्रम के संचालन प्रक्रिया को सहज एवं सर्व सुलभ करने तथा संचालन व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करने के उद्देश्य से राज्य SANKALP – Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion के तहत, राज्य के सभी 24 जिलों में स्थानीय आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप जिला कौशल विकास योजना तैयार करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उद्योग

154. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के विकास के लिए Skilled Workforce के साथ उद्योगों का विकास अतिआवश्यक है। उद्योगों के स्थापना एवं विकास से रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। इसके लिये सरकार प्रयासरत है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5,000 युवक/युवतियों को PM Employment Generation Programme (PMEGP) योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

155. कलस्टर विकास योजना का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर की स्थापना 185.00 करोड़ रुपये (एक सौ पचासी करोड़ रुपये) की लागत से की जा रही है।

156. राज्य के कामगारों को कौशल विकास हेतु तकनीकी प्रशिक्षण राज्य में कार्यरत टूल रुम राँची, दुमका एवं गोला, रामगढ़ के माध्यम से देने का प्रस्ताव है, ताकि राज्य में कार्यरत उद्योगों के लिए प्रशिक्षित औद्योगिक कामगार मिल सके एवं राज्य के युवाओं को स्व–रोजगार भी उपलब्ध हो सके।

157. झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम को केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही कई महत्वपूर्ण परियोजना यथा– प्लास्टिक पार्क, फर्मा पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, राँची आदि का कार्यान्वयन एजेन्सी बनाया गया है।

158. गोड्डा में भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैण्डलूम कलस्टर का कार्य प्रारम्भ है, जिससे संथाल परगना के सभी छः जिलों के बुनकरों को लाभ होगा।

159. वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3,000 मेट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

160. स्वरोजगार एवं खादी के विकास हेतु राज्य के परम्परागत 1,600 शिल्पियों को स्वरोजगार निमित्त प्रशिक्षण एवं 75 प्रतिशत अनुदान पर औजार एवं उपस्कर का वितरण किया जायेगा।

161. **स्फूर्ति योजना Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)** अन्तर्गत स्वीकृत 7 क्लस्टर का कार्यान्वयन वर्ष 2021–22 में किया जायेगा। इसमें लगभग 2,500 उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। बोर्ड द्वारा शिल्पियों/उद्यमियों का आर्टिजन कार्ड बनवाकर राज्य एवं केन्द्र की अन्य योजना के तहत् 30,000 शिल्पियों/उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

पथ निर्माण

162. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के विकास में पथों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है एवं सड़कों के घनत्व को बढ़ाने हेतु बजट में राशि 3,480.00 करोड़ रुपये (तीन हजार चार सौ अस्सी करोड़ रुपये) का उपबंध किया जा रहा है।

163. आगामी वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग में निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं यथा–

- माईनिंग कोरिडोर का निर्माण।
- गिरिडीह, धनबाद, देवघर में रिंग रोड का निर्माण।
- गोविन्दपुर–साहेबगंज सड़क का फोर लेनिंग कार्य।
- राज्य के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को फोर लेन करने का प्रस्ताव है।
- राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को अच्छी सड़कों से जोड़ने का कार्य।

रेलवे एवं वायु मार्ग

164. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के जमशेदपुर जिले में टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ **Institute of Driving Training and Research** के स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित राशि 17.00 करोड़ रुपये (सत्रह करोड़ रुपये) की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। Society (IDTRSJ) का निबंधन हो चुका है। निविदा कार्य पूर्ण कर ली गई है। इसे वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

165. झारखण्ड राज्य के साहेबगंज जिला में राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के अन्तर्गत गंगा नदी पर जलमार्ग विकास परियोजना के तहत **Multi Modal Terminal** विश्व बैंक के सहयोग से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के चालू होने से संथाल परगना क्षेत्र के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

166. हमारी सरकार मानव निर्मित आपदाओं पर प्रभावकारी नियंत्रण के क्रम में सड़क दुर्घटनाओं से जनित मानव मृत्यु के रोक–थाम हेतु कृत संकल्पित है। इस क्रम में दक्षिणी राज्यों में

अधिष्ठापित ट्रैफिक पार्कों की संकल्पना इस राज्य में भी लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य परिवहन निगम के भू–संपदाओं पर **ट्रैफिक पार्क की स्थापना** संबंधी कार्य योजना का क्रियान्वयन कर जन–साधारण को ट्रैफिक नियमों का अनुपालन किये जाने निमित्त अद्यतन ग्राफिक्स तथा तकनीकी Tool से अवगत कराया जायेगा। इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये 10.00 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

167. पेट्रोल/डीजल गाड़ियों से उत्पन्न होने वाल प्रदूषण को न्यूनतम किये जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में Electric Vehicles को प्रोत्साहित करने के निमित्त वर्ष 2021–22 में Electric Vehicle Policy गठित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये 5.00 करोड़ रुपये (पाँच करोड़ रुपये) का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

168. बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU के प्रारूप पर राज्य मंत्री परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस MoU के तहत विकास कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

169. झारखण्ड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को हवाई यातायात से जोड़ने के उद्देश्य से धालभूमगढ़ स्थित पुरानी हवाई पट्टी की 245 एकड़ भूमि को एक घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की परियोजना पर कार्य किया जायेगा।

170. Regional Connectivity Scheme (UDAN- उड़े देश का आम नागरिक) के तहत बोकारो तथा दुमका हवाई अड्डा का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। आगामी वित्तीय वर्ष में दोनों हवाई अड्डों से RCS & UDAN के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ कराने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

171. दुमका हवाई अड्डा में Commercial Pilot's License with multi engine rating स्तर का प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु सभी आधारभूत संरचना तैयार है। PPP मॉडल पर इसके संचालन हेतु एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

172. देवघर में घरेलू हवाई अड्डा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में यहाँ से नियमित उड़ानों का परिचालन प्रारंभ करवाने की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

173. राँची अथवा राज्य के अन्य हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों पर एयर एम्बुलेंस की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

174. राज्य के हवाई पट्टियों पर उपलब्ध खाली पड़े अनुपयोगी भूमि पर Solar Photo Voltaic Panels के अधिष्ठापन की दिशा में कारवाई की जायेगी, ताकि हवाई अड्डों पर निर्बाध विद्युत् व्यवस्था के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा सके।

ऊर्जा

175. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के आर्थिक विकास में ऊर्जा की महती भूमिका है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना वर्त्तमान सरकार का लक्ष्य है। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऊर्जा उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु अनेक योजनाएँ राज्य में संचालित की गई है। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुनियादी ढाँचों को मजबूत एवं विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सम्पोषित स्कीम, राज्य स्कीम एवं विश्व बैंक सम्पोषित स्कीम क्रियान्वित है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, Restructured Accelerated Power Development Reforms Programme (RAPDRP) योजना, झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना, विश्व बैंक सम्पोषित Jharkhand Power System Improvement Project (JPSIP) योजना के द्वारा राज्य में गुणवत्तापूर्ण 24x7 घंटे विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऊर्जा बचत हेतु मीटरिंग एवं एनर्जी एकाउटिंग योजना क्रियान्वित की जायेगी।

176. **मीटरिंग एवं एनर्जी एकाऊंटिंग योजना** के तहत HT उपभोक्ताओं को मेन और चेक मीटर से जोड़ने, ABT मीटर स्थापित करने तथा सभी फिडर और वितरण ट्रॅास्फार्मर में मीटर स्थापित करने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता को बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग का भी कार्य किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के लिये 150.00 करोड़ रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत घरेलू मीटरिंग

तथा बाह्य क्षेत्रों में विद्युत प्रवाह आदि संबंधी कार्य किया जायेगा। योजना की कुल लागत 450.00 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ रुपये) होगी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2022–23 तक क्रियान्वित होगी। इसके अंतर्गत विश्व बैंक तथा वार्षिक विकास योजना से भी राशि व्यय की जा सकेगी।

177. **राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में शुरू कराई जाने वाली नई संचरण योजनायें**– DVC कमाण्ड एरिया में कुल 07 जिले यथा– धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह में DVC के संचरण लाईन एवं ग्रिड सब–स्टेशन से विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है।

- Pataru Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) के 3 x 800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन एवं NTPC के 3 x 660 नार्थ कर्णपूरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित होने वाली बिजली के उपयोग के लिये पर्याप्त संचरण नेटवर्क विकसित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा 132 के०वी० के संचरण नेटवर्क का निर्माण कराया जा रहा है। वर्त्तमान में 132 के०वी० के 38 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माणाधीन है।
- PVUNL के 3 x 800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन से विद्युत निकासी हेतु चाण्डिल तथा कोडरमा में 400 के०वी० के ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईनों के निर्माण की योजना है।
- पतरातू, हजारीबाग, गोमिया, बरकट्ठा, तोपचांची, बलियापुर में 220 के०वी० के ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन का निर्माण किया जाना है। धनबाद एवं आसपास के क्षेत्रों में सुदृढ़ विद्युत स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Eastern Region Strengthening Scheme के तहत 440/220 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन, धनबाद का निर्माण किया जा रहा है। इसे झारखण्ड के संचरण नेटवर्क से जोड़ने हेतु संचरण लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

चालू एवं इन नई प्रस्तावित संचरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में 500 करोड़ रुपये (पाँच सौ करोड़ रुपये) प्रस्तावित है।

178. राज्य में अवस्थित जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर संयत्र के अधिष्ठापन की योजना के तहत प्रथम फेज में गेतलसूद जलाशय, राँची में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयत्र (PVP) अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है।

179. राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

180. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड की पहचान वनों से है। मानव एवं वनों का संबंध बहुत पुराना है। हमारी सरकार वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के सतत् प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.81 प्रतिशत हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप राज्य के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के द्वारा दिनांक 30.12.2019 को जारी प्रतिवेदन के अनुसार 2017 से 2019 तक की अवधि में राज्य में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलामीटर की वृद्धि हुई है।

181. संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन जन भागीदारी के साथ झारखण्ड के अवकृष्ट हो रहे वनों में वृहत् पैमाने पर प्राकृतिक पुनर्जनन पद्धति के माध्यम से पुर्नस्थापन कार्य किये गये है। इसके अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, वन संवर्द्धन, जल–सह–भू संरक्षण कार्य एवं बाँस बखारों की सफाई आदि कार्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संपादित किये जा रहे है। वन विभाग की इस नई पहल से साल वन एवं बाँस बखारों के पुर्नस्थापन में काफी सफलता मिली है।

182. जलवायु परिवर्तन एवं अन्य कारणों से पूरे विश्व में जल संकट के प्रति चिंता बढ़ गई है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सभी 24 जिलों में अब तक 703 कि०मी० नदी तट वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न कराया गया है। इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में शेष नदियों पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा। इसके अलावे नदी के

उद्गम स्थलों पर भी वृक्षारोपण / वन संवर्द्धन का कार्य कराया जायेगा।

183. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन–वन योजना में नीतिगत परिवर्तन कर किसानों की जमीन पर लगाये जाने वाले वृक्षों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत कृषकों द्वारा उनके निजी भूमि पर विभाग के सहयोग से लगभग 5.00 लाख फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधे से वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत 3,000 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

184. शहरी क्षेत्र को हरा–भरा करने हेतु **शहरी वानिकी योजना** नामक नई योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के तहत सम्पूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख–रखाव का कार्य भी किया जायेगा, ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ–साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके।

185. झारखण्ड कैम्पा (Jharkhand Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) के तहत प्राप्त निधि से अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूर्त्ति वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी संबंधित आवश्यक कार्य कराये जा रहे हैं। साथ ही, ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न वन प्रमण्डलों द्वारा ग्राम वन प्रबंधन / इको विकास समिति के सदस्यों को माईक्रो प्लान के निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। कुल 2,800 माइक्रो प्लान का निर्माण उनके माध्यम से किये जा रहे हैं। वनों के भीतर वन्य प्राणियों को जल उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि पर आवश्यकतानुसार चेक डैम बनाये जा रहे हैं। वन्य प्राणियों के पर्यावास में सुधार के तहत वनों का संघनीकरण कार्य भी किये जा रहे हैं।

विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन

186. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य का विकास एवं पूँजीनिवेश आकर्षित करने में विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन की भूमिका अहम है और सुरक्षित वातावरण अनिवार्य शर्त्त है। गृह, कारा

एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत गृह एवं कारा प्रभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 में 476.80 करोड़ रुपये (चार सौ छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख रुपये) की राशि उपबंध करने का प्रस्ताव है। इसमें से केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के लिए 237.65 करोड़ रुपये (दो सौ सैंतीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये), केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए 11.65 करोड़ रुपये (ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) तथा राज्य योजना के लिए 227.50 करोड़ रुपये (दो सौ सत्ताईस करोड़ पचास लाख रुपये) की राशि का उपबंध प्रस्तावित है।

187. विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत 13 अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा के उद्देश्य से दृष्टिकोण से आकस्मिक प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) योजना के लिये वर्ष 2020–21 अन्तिम वर्ष है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि प्राप्त होगी, उसका व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 में करने का प्रस्ताव है।

188. राज्य के युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गये हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा, ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहाँ विकास की गति में तेजी लायी जायेगी, ताकि उग्रवाद वहाँ दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित हैं उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जायेगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रकाश लाया जा सके एवं उनके जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी।

189. विधि–व्यवस्था संधारण हेतु Frontline force के प्रशिक्षण हेतु निर्माणाधीन Constable Training School, Musabani को वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण किया जायेगा।

190. Emergency Response Support System (ERSS) परियोजना अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित आपातकालीन सेवा Dial-100 (पुलिस), Dial-101 (अग्निशमन एवं बचाव), Dial-108

(एम्बुलेंस) तथा Dial-181 (महिला एवं बाल सुरक्षा) को एकीकृत कर Dial-112 स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण रूपेण चालू कर दिया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जायेगा, ताकि पीड़ित व्यक्ति Dial-112 द्वारा आकस्मिक सेवा की मदद ले सकें। वर्ष 2021–22 में इसे और सुदृढ़ बनाया जायेगा।

191. राज्य में अभी तक राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन नहीं हो सका है, जिसके कारण आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए पदों के सृजन की कार्रवाई की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस बल को क्रियाशील करने का लक्ष्य है।

192. झारखण्ड राज्य में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में आमजनों की मृत्यु वज्रपात से होती है। यह हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि वज्रपात से बचाव के लिए उपायों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया है, फिर भी स्थिति में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। इस समस्या से निपटने के लिए झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा Geographical Information System (GIS) Portal/ Mobile App विकसित किया गया है, जिसके द्वारा वज्रपात होने की पूर्व सूचना Location Based SMS के माध्यम से आमजनों को दी जा रही है। इससे आमजन सुरक्षित स्थान तक पहुँच सकते हैं। इस योजना को वर्ष 2021–22 में और सुदृढ़ बनाया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गर्वनेन्स

193. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गर्वनेन्स अवसंरचना के निर्माण की ओर सरकार अग्रसर है। भारतनेट फेज–1 के तहत 2,787 ग्राम पंचायतों/प्रखण्ड मुख्यालयों तथा फेज–2 में 993 ग्राम पंचायतों/प्रखण्ड मुख्यालयों तक Optical Fiber Cable (OFC) बिछा दी गयी है। इस प्रकार 4,638 ग्राम पंचायत/प्रखण्ड मुख्यालयों में से 3,780 तक OFC की सुविधा उपलब्ध करा

दी गई है। शेष पंचायत मुख्यालय तक OFC बिछाने का कार्य वर्ष 2021–22 में पूर्ण कर लिया जायेगा। Internet की सुविधा पंचायत स्तर तक पहुँच जाने से आमजनों को जरूरी जानकारी आसानी से सुलभ हो सकेगी। Internet की इस सुविधा को पंचायत स्तर पर स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, थाना तथा पोस्ट ऑफिस तक पहुँचाने का कार्य जारी है। वर्ष 2021–22 में इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को Internet Connection प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

194. देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं एवं संसद में वर्त्तमान मेनुअल कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने हेतु **National e-Vidhan Application (NeVA)** को झारखण्ड विधानसभा में भी लागू किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पर्यटन

195. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं। परिवहन के साधनों की सुलभ उपलब्धता से राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी एवं लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो पायेंगे। पर्यटन के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य में नई पर्यटन नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित नीति के तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं सब्सिडी का प्रावधान रखा जायेगा।

196. देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है। इस संस्थान में होटल प्रबंधन के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स तथा अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इसे प्रारंभ किया जायेगा।

197. प्रसाद योजनान्तर्गत देवघर के विकास हेतु 39 करोड़ रुपये (उनचालीस करोड़ रुपये) की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजनान्र्तगत कॉंवरिया पथ में Spiritual Congregation Hall निर्माण, शिवगंगा के पास Control & Commend Centre निर्माण, तथा देवघर आने वाले

मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

198. **लुगुबुरू एवं रजरप्पा** की महत्ता को देखते हुए इन्हें वृहद् पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। पर्यटकों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

199. राज्य में प्रमुख जलाशयों में जलक्रीड़ा तथा पर्यटन आकर्षण क्षेत्रों में साहसिक क्रीड़ा को संवर्धित किया जायेगा।

200. राज्य के ग्रामीण विरासतों (सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातात्विक आदि) का संवर्धन तथा पर्यटक आवासन की समस्या को दूर करने हेतु होम स्टे को बढ़ावा दिया जायेगा।

201. राज्य के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों की ओर जाने–वाले राजमार्गों पर यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के निमित्त पर्यटक सुविधा केन्द्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इन पर्यटक सुविधा केन्द्रों में आवासन, भोजन, आराम की सुविधा के साथ–साथ पर्यटक वाहनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

202. राज्य के दुर्गम पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुगम पहुँच तथा अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रोप–वे निर्माण प्रस्तावित है।

खेल–कूद

203. राज्य के सभी गाँवों में एक–एक सिद्धो–कान्हो खेल क्लब की स्थापना की जायेगी, जिन्हें युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

204. खेल क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देने का प्रस्ताव है।

205. राज्य में फुटबॉल खासकर महिला फुटबॉल को बढ़ाने हेतु ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन

(AIFF) के साथ MoU किया जायेगा।

206. राज्य के सभी खिलाड़ियों का Gradation निर्माण की कार्रवाई की जायेगी, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को अपने खेल विद्या के अनुरूप नियुक्ति आदि में सुविधाएँ आसानी पूर्वक प्राप्त हो सके।

207. राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण खेल केन्द्रों में बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वृहत् रूप से टैलेन्ट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

208. राज्य में सीमान्त स्तर पर खेल–कूद के प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय एवं दिवा–प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जिसमें लगभग 3,000 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

209. वर्त्तमान में सभी प्रशिक्षु खिलाड़ियों को जो खेल सामग्री एवं किट दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। अतः इन खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिये उन्हें गुणवत्तापूर्ण खेल किट एवं सामग्री उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

210. राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों व जिला स्तर के बड़े स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक एवं एस्ट्रोटर्फ अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा, ताकि खिलाड़ी अत्याधुनिक खेल संरचना में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

कला एवं संस्कृति

211. राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा यथा– नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, हो, संथाली, कुडुख, मुण्डारी, खड़िया एवं पंचपरगनिया भाषाओं हेतु एक–एक भाषा केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

212. सभी पर्यटन क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं के प्रदर्शन पर जोर दिया जायेगा।

213. **अध्यक्ष महोदय,** अन्त में, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवकों, किसानों, बेरोजगारों, श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों और समाज के न्यूनतम पायदान पर खड़ें लोगों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए परिणाम बजट (Outcome Budget) प्रस्ताव गठित किया है। सदन के समक्ष इसी लक्ष्य के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए **75,755.01 करोड़ रूपये** (पचहत्तर हजार सात सौ पचपन करोड़ एक लाख रुपये) तथा पूँजीगत व्यय के लिए **15,521.99 करोड़ रूपये** (पन्द्रह हजार पाँच सौ इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख रुपये) अर्थात् **91,277.00 करोड़ रूपये** (एकानवे हजार दो सौ सतहत्तर करोड़ रुपये) का बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि –

फिजाओं को बदल देंगे हम,
अपने अनवरत् प्रयासों से।
छँटने लगी है विघ्न बाधाएँ,
अब न कहीं उदासी है।
चन्द्रोदय तो हो चुका है,
अब आनेवाली पूरनमासी है।

जय हिन्द! **जय झारखण्ड!** **जोहार!**